न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 25/2019
GCMS No-2019/00075

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली हाल बांसवाडा		1. मूलचंद पुत्र शिवलाल माली(विक्रेता) मैसर्स लक्ष्मी स्वीटस मार्ट मैन बाजार सुमेरपुर जिला पाली 2. श्री शिवलाल माली(मालिक) मैसर्स लक्ष्मी स्वीटस मार्ट मैन बाजार सुमेरपुर जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दीपाराम परमार।

–: निर्णय :–

दिनांक 11.05.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी अनुपस्थित होने से बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वह वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 29.10.2018 को दौराने गश्त मैसर्स लक्ष्मी स्वीट्स मार्ट मैन बाजार सुमेरपुर पर गया। जहां पर प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया, विक्रेता मूलचंद व गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स लक्ष्मी स्वीटस मार्ट मैन बाजार सुमेरपुर जिला पाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान पर आमजन की बिक्री हेतु खाद्य सामग्री खोया रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर गवाहान के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया एवं दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रार्थी ने प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया कि वह खाद्य सामग्री खोया का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जाचं हेतु ले रहे है। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खोया वास्ते जांच क्रय कर कीमत 220/– रू नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है, जिसकी असल प्रति पत्रावली के साथ सलंग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गये खोया के चार नमूना पैक तैयार कर लेवल लगाया गया जिस पर नमुना क्रमांक आर–832 अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं भी हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना पैक पर लेवल चिपकाया गया। प्रत्येक नमूना पैक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक आर–832 गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना पैक को धागे से बांध कर सीलमुहर किया, जिस पर विक्रेता व गवाहान ने हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये गये एवं चारों सीलबंद नमूना पैक जार को अपने कब्जे में लिया गया। प्रार्थी द्वारा मौके पर ही मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसे विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाया एवं हस्ताक्षर करने को कहा, विकेता एवं गवाहान ने पढकर, सुनकर समझकर एंव सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा प्रार्थी स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर ही की गई है। प्रार्थी की दुकान से लिया गया नमुने को नियमानुसार सील मोहर कर डीओ एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को दिनांक 30.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एंव स्वयं मेरे द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर मे दिनांक 31.10.2018 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति प्रार्थना पत्र के सलंग्न है। खाद्य सुरक्षा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अधिकारी को डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018 /14276–77 एवं जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/828/एक्ट/2018/847 दिनांक 29.11.2018 के द्वारा मालूम हुआ की अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ खोया नमुना क्रमांक आर–832 का नमुना Sub-Standard पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी की फर्म मैसर्स लक्ष्मी स्वीटस मार्ट मैन बाजार सुमेरपुर जिला पाली से लिया गया नमुना कोड आर–832 नमुना खाद्य पदार्थ खोया जो Sub Standard स्तर का पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस एवं लिखित जवाब पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मैसर्स लक्ष्मी स्वीटस मार्ट मैन बाजार सुमेरपुर जिला पाली से लिया गया खाद्य सामग्री खोया का नमुना लेने हेतु कि गयी प्रक्रिया नियमानुसार नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.10.2018 को दौराने गस्त अप्रार्थी की दुकान मैसर्स लक्ष्मी स्वीटस मार्ट मैन बाजार सुमेरपुर जिला पाली पर गये तो वहां पर अप्रार्थी संख्या 01 नाहरसिंह उपस्थित मिले। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा उनकी उपस्थिति में अप्रार्थी की दुकान मैसर्स लक्ष्मी स्वीटस मार्ट मैन बाजार सुमेरपुर से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.10.2019 को अप्रार्थी की दुकान में आमजन को विक्रय हेतु रखे गये खाद्य पदार्थ खोया को वास्ते जांच हेतु क्रय कर क्रयसुदा खोया को वास्ते नमुना लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–832 अंकित करके नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन कमांक एल.एस./828/एक्ट/2018/847 दिनांक 29.11.2018 में प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य सामग्री खोया जो Sub-Standard माना गया। जो की अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 2(2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी 01 पर 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र, एवं अप्रार्थी संख्या 02 पर 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र कुल 40,000/– कुल चालीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 11.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली